




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com



आदेश क्रमांक 11/54-2007 PS(3)

दिनांक, पंचकूला: 28-06-2019

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए J.K.M. Sr. Sec. School,

Kalanaur (Rohtak) को कक्षा पहली से 12वीं तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण

पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय के स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 11/54-2007PS(3) दिनांक 21.06.2007 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था

में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापिस लिया समझा जायेगा। विद्यालय को कोड 670/RTK/12th/BOSE/2007.

डा० राकेश गुप्ता
महानिदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक पंचकूला 28/6/19

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक समिति, Akhil Bhartiya Gramin Shiksha AVM Vikas Samiti, Vill. Kalanaur, Distt. Rohtak.
2. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र-2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, Rohtak
5. Principal, J.K.M. Sr. Sec. School, Kalanaur (Rohtak)
6. आई०टी० सैल (H.Q.)
7. ऑफिस रिकार्ड।

उप अधीक्षक पी०एस०
कृते: महानिदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।